शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जून 2014

पंचायतीराज अधिनियम में महिलाओं की स्थिति

*गिरधारीलाल भालसे (अतिथि विद्वान)
**डॉ.सुरेश काग (सहायक प्राध्यापक)
*शासकीय महाविद्यालय पानसेमल, जिला बड़वानी
**शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा,जिला-बड़वानी
मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीनकाल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायतों द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश शासन काल में पंचायतें धीरे-धीरे समाप्त हो गयीं तथा सब काम प्रांतीय सरकारें करने लगी। स्वतंत्रता के पश्चात् गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। गांधीजी के सपनों को साकार करने व स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायतों को महत्वपूर्ण अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की गयी है।

प्रस्तावना

संसद द्वारा संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान में नया अध्याय-9 द्वारा अनुच्छेद 16 और ग्यारहवी अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन पारित किये जाने के पश्चात् राज्य सरकारों ने इस संशोधन के अनुरूप पंचायतराज अधिनियम बनाया। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम पारित कर सम्पूर्ण राज्य में त्रि-स्तरीय व्यवस्था पारित की। इसके पश्चात् देश के कई राज्यों में इस व्यवस्था को अंगीकृत किया। पंचायतीराज संस्थाओं में किये गये आरक्षण के माध्यम से प्रथम बार समाज के पिछड़े वर्गों के साथ-साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात् की सबसे व्यापक राजनीतिक भर्ती संभव हुई । महिलाओं के लिए पंचायतीराज व्यवस्था के सभी स्तरों पर स्थान आरक्षित किये गये । यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक सराहनीय कदम है, जिसके माध्यम से अभी तक उपेक्षित, पीड़ित एवं शोषित वर्ग की महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 में 73वें संविधान संशोधन के समस्त प्रावधानों को शामिल किया गया तथा त्रि-स्तरीय (ग्राम,जनपद एवं जिला) पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया। महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु तीनों स्तर की पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था का उल्लेख धारा,13 (5), (6), 17.(3), 23.(4), (5), 25 (1); (2) 32 (1) (2) और उपबन्ध

नियम 4 (3), (4) (5) (6) (क), (k) (ग) 15 (1) (2) (3) में किया गया है। इन उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रखे जाये । इसी प्रकार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भर जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है।

मध्यभारत पंचायत विधान एवं महिलाएँ

इस विधान के अंतर्गत जिलों में पंचायतों की त्रि-स्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई जिसमें ग्राम पंचायतें, केन्द्र पंचायतें और मण्डल पंचायतें सम्मिलित थीं। ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या जनसंख्या के अनुसार भिन्न-भिन्न होती थी और पंचों की यह संख्या कम से कम चार तथा अधिक पन्द्रह होती थी। लगभग 200 व्यक्तियों के लिए एक सदस्य होता था। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के स्थान मतदाताओं के कुल संख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रखे जाते थे। पंचायत में महिला सदस्यों की भी नियुक्ति का प्रावधान था। केन्द्र पंचायत तथा मण्डल पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था। केन्द्र पंचायतों के सभी सरपंच मण्डल पंचायतों के सदस्य होते थे। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था । एक महिला तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी मंडलों, पंचायतों के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाता था।

बलवन्तराय मेहता समिति, 1957

सन् 1957 में मेहता समिति में महिलाओं के लिए ग्रामीण राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कर विशेष बल दिया। अतः इस समिति ने सिफारिशें की कि पंचायत समिति के 20 सदस्यों के अलावा 12 सदस्य महिलाओं के रूप में लिया जाये तथा ग्रामीण पंचायत के संदर्भ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था का सुझाव दिया। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व की एक व्यवस्था महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम 1961 में यह प्रावधान किया गया कि अगर एक भी महिला निर्वाचित नहीं होती है तो तीनों स्तर पर एक या दो महिलाओं को मनोनीत किया जाएगा।1 आंध्रप्रदेश पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम के द्वारा यह प्रबंध किया गया कि पंचायत समिति में निर्वाचित प्रक्रिया के द्वारा महिला सदस्याता प्राप्ति की संभावना के अतिरिक्त हर समिति में दो महिलाओं को सहयोजित किया जाए। हरियाणा में ग्राम पंचायत स्तर पर दो -दो महिलाएँ, 11 सदस्यों को सहयोजित करने की व्यवस्था मनोनयन या सहयोजन की व्यवस्था थी उसके बावजूद भी महिलाओं में पंचायतीराज संस्थाओं में प्रभावी भूमिका नहीं दिखाई दी और न ही महिलाओं की इन निकायों में अर्थपूर्ण साझेदारी थी, इनका प्रतिनिधित्व नाममात्र का था।2 मेहता समिति द्वारा प्रयुक्त लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की रूपरेखा ने ग्रामीण प्रशासन में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया।

अशोक मेहता समिति, 1977

सन् 1977 में महिलाओं के लिए पंचायतीराज में अधिनियम की सिफारिशें की तथा इसी प्रकार

1985 में जी.वी.के.राय समिति के द्वारा यह सिफारिशें की कि ग्राम पंचायत समिति और ग्राम मण्डल की एक उपसमिति होनी चाहिए जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों और योजनाओं पर विचार करने एवं उनका कार्यान्वयन करने के लिए मुख्य रूप से महिला सदस्य हो। कुछ राज्यों में मनोनयन या सहयोजन को त्याग दिया और आरक्षण का सहारा लिया ताकि पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

पंचायतीराज अधिनियम और महिलायें

समय-समय पर पंचायतीराज के सम्बन्ध में अधिनियम बने और इस व्यवस्था में महिलाओं को भी लाने के प्रयास किये गए। पंचायतीराज अधिनियम 1964 की धारा -9 के अंतर्गत यदि 10 सीटें या इससे कम है तो दो सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था है और यदि 10 से 15 के बीच है तो तीन सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था है और यदि 15 से अधिक संख्या है तो चार सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था है। इस प्रकार यह अधिनियम पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है।3

महाराष्ट्र में 1978 में पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अधिकाँश महिला प्रतिनिधि नामजदगी के जरिए इस व्यवस्था में पहुँची थीं। प्रत्येक पंचायत में अगर निर्वाचित अथवा नामांकित रूप से पंचायत में सरपंच के पद पर कोई महिला न हो तो पंचायत में उपसरपंच का पद किसी महिला को दिया जाये। पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों के लिए भी इस तरह के संशोधन लाए गए हैं।

64वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989

25 मई, 1989 को 64वें संविधान विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव विभिन्न अधिकारों में वृद्धि महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए थे। इसमें महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण पंचायतीराज व्यवस्था में किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह संशोधन लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो सका।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

इस संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष पदों पर भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई साथ ही अध्यक्ष पद पर भी महिलाओं के लिए अनेक प्रतिनिधित्व के अनुपात में आरक्षित किया गया तथा यह भी व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटों को इन्हीं जातियों की महिलाओं के द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है।4 पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण से ग्रामीण महिलाओं की विकास प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाने का

अवसर मिला है। निश्चित ही यह एक नए युग का सूत्रपात है तथा महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के सषक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पंचायतीराज के द्वारा एक वृहद् सामाजिक परिर्वतन आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि संविधान में हमारे प्रावधान की बात लिखी हुई है, परन्तु स्वतंत्रता के इतने वर्षों के उपरांत भी महिलाओं की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया। वर्ष 1986 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। महिला वर्ष के नाम से देशभर में सालभर समारोह आयोजित किये गए। जिसके अंतर्गत केन्द्र से लेकर राज्यों तक में महिला एवं बाल विकास संचालनालय की स्थापना कर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसके पूर्व समाज कल्याण विभाग इस कार्य को सम्पन्न कर रहा था। शासकीय स्तर पर वृहद् प्रयास करने के उपरांत भी विशेष लाभ महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने में नाकाम रहे।

निष्कर्ष

अभी तक जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, किसी भी स्तर की हो, उसमें लिंग के आधार पर महिलाओं की कोई भागीदारी कभी भी निश्चित नहीं की गई है। यहां पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की शक्तियों व अधिकारों का उपयोग वास्तविक रूप से पुरूषों के द्वारा किया जाता रहा है। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में 73वें संविधान संशोधन के समस्त प्रावधानों को शामिल किया गया तथा त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा बनाई गई । हर ग्राम सभा के लिए पंचायत है, जनपद पंचायत विकासखण्ड स्तर पर एवं जिला स्तर पर जिला पंचायतों का गठन किया गया । आरक्षण के प्रश्न पर जहां सभी वर्गों का आबादी के अनुरूप पदों का आरक्षण किया गया है, वहां महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के पदों को भी आरक्षित किया गया है, जिससे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को सुधारा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. कोठारी रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरिएंट लागमेंस, नई दिल्ली,1990, पृष्ठ-15

2. राजनैतिक निबंध लेखन, डा के.एन.वर्मा, रस्तोगी एण्ड कम्पनी मेरठ, 1965 पृष्ठ-17

3. म.प्र.अधिनियम क्र.18, सन 1962 की धारा-4 के अनुसार

4. म.प्र.अधिनियम क्र.18, सन 1962 की धारा-26 के अनुसार

5. ग्राम पंचायत अधिनियम संशोधन क्र.-26 सन् 1996 के अनुसार